Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2021: 7.278, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, OCT-NOV, 2021, VOL-9/48

सोशल मीडिया : स्वतंत्रता बनाम स्वच्छन्दता

रामयज्ञ मौर्य[1], Ph. D. & नितिन कुमार[2]

[1]एसोसिएट प्रोफेसर

[2]शोधार्थी हिंदी विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ (उ०प्र०)

Paper Received On: 25 NOV 2021
Peer Reviewed On: 30 NOV 2021
Published On: 1 DEC 2021

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

सोशल मीडिया आज एक बडा सामाजिक मंच है जहाँ हर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिये स्वतंत्र है और विशेष यह कि बिना किसी नियंत्रण और हस्तक्षेप के। सोशल मीडिया पर लिखना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण अधिकार से जुड़ गया है। सोशल मीडिया ने प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है लेकिन भारतीय संविधान में यह स्वतंत्रता देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्व में ही प्राप्त है। किंतु इससे पहले अभिव्यक्ति के पर्याप्त मंच और सुलभ साधन नहीं थे, पर्याप्त अवसर न मिलने तथा जानकारी के अभाव के कारण आम आदमी अपनी आवाज या तो उठा नहीं पाता था या उसे दबा दिया जाता था। आम तौर पर समाचार-पत्र, पत्रिकाओं तथा मीडिया के परम्परागत साधनों से ये आवाज उठाई जाती थी जिनकी अपनी कुछ सीमाएँ और पाबंदियाँ थीं लेकिन आज की विकसित तकनीक तथा सोशल मीडिया ने इसे आसान एवं सर्वसुलभ बना दिया।

स्वतंत्रता के विषय में बाबूराव विष्णु पराडकर की इस सम्पादकीय टिप्पणी पर विचार किया जा सकता है जो उन्होंने ५ सितंबर, सन् १९२० ई० के 'आज' समाचार-पत्र के लिए लिखी थी, "हमारा उद्देश्य अपने देश के लिए सर्वप्रकार से स्वातंत्र्य उपार्जन है। हम हर बात में स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश के गौरव को बढ़ावे, अपने देशवासियों में स्वाभिमान-संचार करें, उनको ऐसा बनावे कि भारतीय होने का उन्हें अभिमान हो, संकोच न हो। यह अभिमान स्वतंत्रता देवी की उपासना करने से मिलता है।[1]

गाँधी जी का मानना था कि "पत्रकारिता का सही कार्य लोकमानस को शिक्षित करना है उसे वांछित-अवांछित विचारों से भरना नहीं है।[2]

तकनीकविद् बालेन्दु शर्मा दाधीच, "सोशल मीडिया के संदर्भ में अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क देते समय कई अहम पहलुओं पर विचार करना ज़रूरी है। यह प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा माध्यम नहीं है जहाँ संपादकीय नियंत्रणों, नैतिकताओं, आत्मानुशासन और आत्मविवेक जैसी चीजों के साथ-साथ कारोबारी स्तर पर भी कुछ सीमाएँ मौजूद हैं। देश का कानून तो उस पर लागू होता ही है। इस किस्म के परोक्ष नियंत्रण या आचरण आधारित सीमाएँ

पारंपरिक मीडिया को जिम्मेदार बनाती हैं। लगभग हर मीडिया संस्थान के भीतर मौजूद आतंरिक व्यवस्था उसे काफी हद तक अफवाहों पर आधारित, वैमनस्य फैलाने वाले, अश्लील, अनैतिक, कृत्रिम और दुर्भावनापूर्ण कन्टेन्ट के प्रकाशन से मुक्त कर देती है। न्यू मीडिया और सोशल मीडिया की स्थिति इससे अलग है।[३]

सोशल मीडिया के उपयोग, दुरूपयोग, आचरण, अधिकारों और दायित्वों का मुद्दा अभी तक अनसुलझा है। सोशल मीडिया ने इंटरनेट की मुक्त प्रकृति का लाभ तो उठाया है किंतु उसके फलस्वरूप जिस प्रकार का दायित्व बोध होना चाहिए उसका अभी तक अभाव हैं। आज की युवा पीढ़ी सही और गलत का विभेद किये बगैर सोशल मीडिया पर अशोभनीय विचारों को भी प्रकट कर रही है जिस पर पश्चिम का अंधानुकरण स्पष्ट दिखाई देता है। लोग अपनी अभिव्यक्ति को सुविधानुसार गलत ढंग से पेश करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसकी अभिव्यक्ति की इच्छाएँ कभी शांत नहीं होती। वह अपने मन की बात अपनों के साथ साझा करना चाहता है और दूसरों के विषय में भी जानना चाहता है। जगदीश्वर चतुर्वेदी लिखते हैं कि, फेसबुक वस्तुतः अभिव्यक्ति का फास्टफूड है।[४]

वैसे तो संचार की कोई सीमा नहीं होती है, किंतु मीडिया में संप्रेषित किये गये शब्दों, भावों-विचारों की अपनी मर्यादा होती है। जिसके उचित प्रयोग से सोशल मीडिया प्रयोक्ता समाज में अपनी एक आदर्श छवि बना सकता है, दूसरे वह अनुचित शब्द प्रयोग से समाज में आलोचनाओं का पात्र भी बन सकता है जिसे मीडिया की भाषा में आजकल ट्रॉल होना कहा जाता हैं। क्योंकि हम जो भी लिखते हैं वो सारी दुनिया के समक्ष होता है। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज में उन्माद, हिंसा, धर्मांधता, अश्लील सामग्री परोसने वाले लोगों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर लोग आज भी अपने धर्म और संस्कृति और सभ्यता के प्रति संवेदनशील है। इसका प्रमाण आये दिन हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। लोग अधर्म एवं अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हैं और तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देकर उनका बहिष्कार करते हैं साथ-ही उन्हें अपनी मित्र सूची से भी हटा देते हैं। इसका प्रमाण फ्रांस में छपने वाली शार्ली एबेदो पत्रिका के मुख्यालय पर आतंकी हमला का होना है। पत्रिका के संपादक पर धर्म संबंधी भावनाओं को भड़काने का आरोप था।

अपनी पुस्तक "डिजिटल कैपीटलिज्म फेसबुक संस्कृति और मानवाधिकार" में "फेसबुक और अभिव्यक्ति की लक्ष्मण रेखा" शीर्षक में जगदीश्वर चतुर्वेदी लिखते हैं कि "फेसबुक पर अमर्यादित, गाली-गलौज, पर्सनल कमेंट्स (छींटाकशी) आदि को तुरंत हटा दें, साथ ही, सार्वजनिक तौर पर सावधान करें। न माने तो ब्लॉक कर दें।"[५]

सोशल मीडिया पर नैतिकता को दरकिनार करते हुये अनैतिक एवं अनुचित सामग्री को संप्रेषित करना प्रयोक्ता की मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की आजादी का स्वरूप बदल दिया है। पूर्व की भाँति मीडिया में नियंत्रण और शर्तें अब नहीं रही। क्योंकि यहाँ प्रयोक्ता स्वयं ही अपने विचारों, भावों और प्रतिक्रियाओं का लेखक और संपादक है। अभिव्यक्ति की इस आजादी से कई बार राजनीतिक तंत्र की चूलें हिलती दिखाई पड़ती हैं।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

अप्रैल, वर्ष २०११ में जनलोकपाल विधेयक के लिये समाजसेवी अन्ना हजारे व इनके सहयोगियों द्वारा किऐ गये जनआंदोलन में सोशल मीडिया की भूमिका इसकी शक्ति को दर्शाती हैं।

नियंत्रण की सीमा से बाहर होने के कारण सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री, गलत धारणाओं का प्रसार सरलता से किया जा सकता है जो किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिये खतरा साबित हो सकता है। इसी कारण सोशल मीडिया पर नियंत्रण और हस्तक्षेप और निगरानी जैसी बातें सामने आने लगी हैं। लेकिन वर्तमान माध्यमों में सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे सशक्त माध्यम है, इसलिए कई विद्वानों का यह मत है कि अगर सोशल मीडिया को नियंत्रित या बाधित किया गया तो यह अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मूल अधिकार एवं लोकतंत्र की हत्या के समान होगा। स्वच्छंद मीडिया के पक्षधरों का मानना है कि चाहे इस माध्यम से कोई भी विवादास्पद सामग्री सार्वजनिक की जा सकती हो, किंतु इससे आम लोग भी राजनेताओं व सरकार की वास्तविकताओं से परिचित हो सकते हैं। साथ ही समाज में घटने वाली प्रमुख घटनाओं की सच्चाई को भी बिना किसी व्यवधान के जान सकते हैं। लेकिन स्मरण रहे कि इंटरनेट जनित डिजिटल सामग्री की प्रमाणिकता शत-प्रतिशत सत्य नहीं होती हैं।

विभूति नारायण राय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि "इंटरनेट ने राज्यों की बंदिशों को तोड दिया है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह जो विस्फोट हुआ है, वह इंटरनेट से ही संभव हो सका है । हम इस बात पर बहस कर सके कि इस माध्यम ने हमें खास तरह की स्वच्छंदता तो नहीं दे दी है । अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं हम यह तो नहीं भूल रहे कि हम सारी सीमाएँ तोड़ रहे हैं और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहँचा रहें हैं । कहीं हम तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर तो पेश नहीं कर रहे हैं । हमें ऐसा लगता है कि हर ब्लॉगर को अपनी लक्ष्मण-रेखा खुद बनानी होगी ।"[६]

इस विषय पर जगदीश्वर चतुर्वेदी का मानना है कि, कम्युनिकेशन की कोई हद या सीमा नहीं होती। अगर लोग ये कहेंगे की कम्युनिकेशन की भी हद होती है तो इसका मतलब ये होगा कि आप कम्युनिकेशन को सीमित करना चाहते हैं।

कुछ वर्ष सरकार द्वारा मीडिया पर हस्तक्षेप करने की बात सामने आई थी। जिसमें सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि प्रयोक्ताओं को अपने सभी संदेशों को तीन माह तक सुरक्षित रखना होगा। किंतु लोगों के प्रतिरोध के तुरंत बाद सरकार को अपना यह आदेश जल्द ही वापस लेना पड़ा है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के पक्ष में लोगों का एक बहुत बड़ा तबका विद्यमान है। उनका यह तर्क है कि यदि सोशल मीडिया पर लगाम नहीं लगायी गई तो इस पर प्रसारित होने वाली अनियंत्रित सामग्री से राष्ट्रीय एकता व अखंडता पर हमेशा खतरा बना रहेगा। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने पक्ष की किसी भी वस्तु अथवा तथ्य को प्रसारित कर देता है जिससे अन्य वर्गों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है, जोकि राष्ट्र के समक्ष एक बहुत बड़े संकट के रूप में सामने आती है। प्रायः देखा जाता है कि युवा इन साधनों का सदुपयोग करने के बजाए दुरूपयोग अधिक करते हैं। इन तथ्यों के आधार पर सोशल मीडिया पर नियंत्रण की माँग करने वाले लोगों का पक्ष भी सही प्रतीत होता है। किंतु सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी इस माँग के आधार पर सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना इस समस्या का समाधान प्रतीत

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

नहीं होता है। अपितु इस प्रौद्योगिकी के सदुपयोग के लिए सकारात्मक उपयोग करने की आवश्यकता है न कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की माँग के आधार पर इसका नकारात्मक रूप प्रस्तुत करना है।

अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इंटरनेट पर घटिया किस्म की घोषणाएँ करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को येन-केन प्रकारेण प्रसिद्ध कराना चाहते हैं । ऐसी मानसिक सोच रखने वाले व्यक्ति के मन-मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि प्राप्त करने का भूत सवार होता है । क्रिकेट के विश्वकप में एक अभिनेत्री ने भारतीय टीम की विजय होने की शर्त पर कुछ ऐसी ही घोषणा की थी । आजकल की युवा पीढी के साथ-साथ विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में प्रसिद्ध होने का जुनून है वे किसी न किसी प्रकार से इंटरनेट पर चित्र, चलचित्र, लेखन सामग्री इत्यादि डालकर प्रसिद्धि चाहते हैं । इंटरनेट पर प्रतिदिन अधिकाधिक सामग्री डालना आज अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति बन चुकी है जिसके माध्यम से लोग रातोंरात सोशल मीडिया सनसनी के रूप में उभर कर सबके सामने छा जाना चाहते हैं यह वैसे ही जिस प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक पत्रकार विशेष एवं महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले जनमानस के सम्मुख लाना चाहता है । सोशल मीडिया पर यू-ट्यूब , फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम ,टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एमएक्स टकाटक, मौज, लाईक, शेयरचैट, जीली इत्यादि असंख्य सामाजिक मंचों से लोग अपनी प्रतिभा, कला व अभिव्यक्ति को लोगों के साथ साझा कर सकते हैं । यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण हैं कि सोश.ल मीडिया पर अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त करते समय कौन-सी भाषा शैली, शब्दों तथा भावभंगिमाओं का प्रयोग करें।

इस संदर्भ में प्रसिद्ध आलोचक डॉ० नामवर सिंह लिखते हैं कि "हम कुछ भी लिखने-पढने को स्वतंत्र हैं । लेकिन इसके साथ जिम्मेदार भी हैं कि हम क्या लिख रहे हैं ? हमें स्वतंत्र होना चाहिए मगर स्वच्छंद नहीं होना चाहिए कि जो भी मन में आया लिख दिया । लिखना भी एक जिम्मेदारी हैं ।"[७]

अभिव्यक्ति के खतरे उठाना तो आसान है किंतु इसका मूल्य चुकाने का साहस कुछेक के पास ही होता है क्योंकि खतरे उठाने से ही नए मार्ग खुलते हैं और पुरानी रूढ़िगत मान्यताओं का ध्वस्तीकरण होता है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि -

"अब अभिव्यक्ति के सारे ख़तरे उठाने ही होंगे ।
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ सब ।"[८]

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य का एक संवैधानिक अधिकार है जो प्रमुख एवं सामाजिक मुद्दो में से एक है । क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति गूँगे के समान है । यहाँ प्रश्न यह भी है कि किसी की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के लिए आपत्तिजनक हो सकती है । ध्यातव्य हैं कि कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी द्वारा वर्ष २०१२ में वेबसाइट पर विवादित कार्टून डालने पर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया जिसमें भारतीय संविधान व राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में उन्हें आईपीसी की धारा १२४ ए के तहत देशद्रोह के अलावा कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए यह स्मरण रखना चाहिए कि वह स्वच्छंद होकर इसका दुरूपयोग तो नहीं कर रहा । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर होने के

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

साथ-साथ हमें विवकेशील होने की भी आवश्यकता है । भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी अभिव्यक्ति कविता में में कहा है –

"अभिव्यक्ति तो होती ही रहती है,
मैं उसके ढंग नहीं सोचता
सोची हुई अभिव्यक्ति ने
मुझे कभी व्यक्त नहीं कियाय"[६]

अतः सोशल मीडिया लोगों की सोच का एक नवीन आधार है जोकि इसके पक्ष में एक नवीन जनमत को तैयार करता है और विचारों की अभिव्यक्ति व नवीनता ही सोशल मीडिया का वरदान साबित हो रहा है।

संदर्भ

आलोक पाण्डेय, "साहित्य पत्रकारिता और संस्कृति", पृ०सं० १४

वही पृ०सं० १४

बालेन्दु शर्मा दाधीच, आलेख-"जायज़ है सोशल मीडिया में असामाजिक तत्वों के दखल की चिंता" इंसमदकनण्बवउ जगदीश्वर चतुर्वेदी, "डिजिटल कैपिट्लिज्म फेसबुक संस्कृति और मानवाधिकार", पृ६सं६ ७४

वही पृ०सं ७२

डॉ० विजय महादेव गाडे "वैश्वीकता के परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यम,साहित्य" ष्वेब मीडिया और अभिव्यक्ति के खतरे ! पृ०सं० १७७

वही पृ०सं० १७७

डॉ० विजय महादेव गाडे "वैश्वीकता के परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यम,साहित्य" ष्वेब मीडिया और अभिव्यक्ति के खतरे ! पृ०सं० १७७

सं० विद्यानिवास मिश्र, "नयी कविता की मुक्तधारा आधुनिक कविता की भूमिका" ष्अभिव्यक्तिष पृ०सं० १७

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language